संख्या- 7/2023/60 /1001-30-1099 292 2022

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-23बीएफ/ 23-64बीएफ/85टी0सी0, दिनांक 11.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में 1000 बसें क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 200.00 करोड़ (रूपये दो सौ करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपोजिट आदि खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नित्रंयण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया गया जायेगा।

(3) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्वविरावृत्ति/पुनरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य न पूर्व में किसी अन्य योजना में स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये एवं जहाँ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहाँ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उक्त धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय यू0ओ0 संख्या– E-9-336-X-2022-23-दिनांक: 14-03-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 7/2023/60(1) /1001-30-1099 292 2022, तददिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
7. नियोजन अनुभाग-4 ।
8. उप सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन ।
10. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11. गाई फाइल ।

आज्ञा से,

ह0
राम गोपाल सिंह
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।